राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या– 225/2014/सवाईमाधोपुर

मै0 रामअवतार एण्ड संस,
भाड़ौती, सवाईमाधोपुर .....अपीलार्थी

बनाम

1. उपायुक्त(अपील्स)वा.क.भरतपुर
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी,
   प्रतिकरापवंचन, भरतपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री ओ.पी.गुप्ता,
अधिकृत अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 03.10.2016

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवसायी यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 104/उपा–भरत/2012–2013 में पारित आदेश दिनांक 18.10.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवसायी कमीशन एजेन्ट का कार्य करता है। वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"**कहा जायेगा) ने अपीलार्थी व्यवसायी के दिनांक 1.4.2012 से 19.04.2012 (2012–13) का कर निर्धारण, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 25,61,75(8) के अन्तर्गत अपने आदेश दिनांक 27.07.2012 द्वारा पारित करते हुए, अपीलार्थी व्यवसायी के विरूद्ध, कर एवं शास्ति कुल मांग रू0 1,80,300/– आरोपित की। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी फर्म द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 18.10.2013 द्वारा अपीलार्थी व्यवसायी की अपील स्वीकार कर, उक्त प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करे। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी फर्म द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

3. अपीलार्थी व्यवसायी की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषित आदेश दिनांक 18.10.2013 की पालना में कर

लगातार.....2

निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः अपीलार्थी को सुनकर, पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.07.2015 पारित कर दिया गया है। अतः पूर्व कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.07.2012 सारहीन हो चुका है।

4. विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने भी इस पर कोई एतराज नहीं किया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रतिप्रेषित आदेश का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवसायी के विरूद्ध अपने आदेश दिनांक 27.07.2012 द्वारा मांग सृजित की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 18.10.2013 द्वारा प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सुनकर पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.07.2015 पारित कर दिया गया है। अतः अपील सारहीन हो जाने से खारिज होने योग्य है।

6. फलतः अपील सारहीन (Infructuous) हो जाने से खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष